न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी :आशाराम डूडी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 45/2017

अपीलांट

1. जीवनसिंह पुत्र भारतसिंह उम्र वर्ष जाति राजपूत निवासी चामडियाक तहसील सोजत जिला पाली।

बनाम

रेस्पोडेन्ट

1. श्यामसिंह पुत्र जीवनसिंहजी उम्र वर्ष जाति राजपूत निवासी चामडियाक तहसील सोजत जिला पाली।
2. तहसीलदार (भूमिधारक) सोजत, तहसील सोजत जिला पाली।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

श्री मदनलाल सोनी, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट

श्री मोतीसिंह पुरोहित, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01

राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 02

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

–: निर्णय :–

दिनांकः– 24.06.2019

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलक्टर एवं उपखंड अधिकारी सोजत द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 12/2017 में पारित आदेश दिनांक 19.04.2017 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 92ए, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 215, 216, 220, 222, 223, 224, 225, 311, 315 व 315 के संबध प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी में अपने हक हिस्से अनुसार खातेदारी घोषित कराने का निवेदन किया, साथ ही प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता का पेश किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

पारित किया है। जो कि विधिसम्मत नहीं है। वादग्रस्त आराजीयात पुश्तैनी आराजी नहीं है। अपीलांट के वृद्ध हो जाने से उक्त आराजी पर अपीलांट के पुत्र काश्त करे तथा उस पर निपट से उस हासल प्राप्त हो सके, ताकि उनके जीवन यापन से अपीलांट की आजीविका चलती रहे तथा भविष्य में उसके तीनो पुत्र झगडा नहीं करे। इस दृष्टि से अपीलांट ने एक आपसी सहमति पत्र एवं प्राप्त रसीद लिखवाकर तारीख 23.12.2016 को लिया है जो पुश्तैनी जमीन होने के बंटवारे का नहीं है और न ही कथित सहमतिपत्र से रेस्पोडेन्ट का मालिक या उसका हिस्सा होने हेतु काश्त पर दिया। किन्तु रेस्पोडेन्ट ने बद्मंशा से पुश्तैनी जमीन होने से बंटवारा कर देने की बात झूठी तथा बद्नियत से लिखी है जबकि कथित आपसी सहमति–पत्र रेस्पोडेन्ट की स्वीकृति है कि कथित आराजी अपीलांट की खातेदारी एवं कब्जा काश्त की है। इसके अतिरिक्त अपीलांट वादग्रस्त आराजी को पुश्तैनी मानता है तो उसे पुश्तैनी आराजी जमीने रखने वाले सभी व्यक्तियो को पक्षकार बनाना चाहिए था। वादग्रस्त आराजी गुलाबकंवर के नाम कैसे दर्ज हुई तथा गुलाबकंवर के पश्चात या पहले अपीलांट का नाम खातेदारी में कैसे दर्ज हुआ, का उल्लेख या विवेचन अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील आदेश में नहीं किया है। रेस्पोडेन्ट ने म्यूटेशन भरे जाने का कथन अपनी लिखित बहस में किया है, किन्तु कथित म्यूटेशन कब भरा गया तथा तत्समय परिवार के अन्य सदस्यो की क्या स्थिति थी का उल्लेख नहीं किया है। जिससे कथित बहस के बिन्दु आधारहीन है। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यो का विधि मंशानुसार विवेचन किये बिना जैर अपील आदेश पारित किया है। जो कि विधिसम्मत नहीं है। अत अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील आदेश अपास्त फरमावे। वकील अपीलांट ने अपने कथनो के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये – (1) 1974 आर.आर.डी 446 (2) 1984 आर.आर.डी 492 (3) 1978 आर.आर.डी 571 (4) 1996 आर.आर.डी 028

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने अपील बहस करते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 92ए, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 215, 216, 220, 222, 223, 224, 225, 311, 315 व 315 के संबध प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी में अपने हक हिस्से अनुसार खातेदारी घोषित कराने का निवेदन किया, साथ ही प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता का पेश किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया है। जो कि विधिसम्मत है। वादग्रस्त आराजी पुश्तैनी आराजीयात है। जिसमें रेस्पोडेन्ट का 1/4 हिस्से पर कब्जा काश्त अर्से दराज से चला आ रहा है। केवल मात्र म्यूटेशन फौतेदगी में

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

जीवनसिंह बनाम श्यामसिंह वगैरा

45/2017

अपीलांट का नाम आ जाने से अपीलांट स्वंय अकेला वादग्रस्त आराजीयात का मालिक नहीं हो जाता है। म्यूटेशन भरने से कोई हक अधिकार पैदा नहीं होते है। तथा जमाबंदी में म्यूटेशन के जरिये नाम आने मात्र से रेस्पोडेन्ट्स के अधिकारो का खत्म नहीं किया जा सकता है। यह मात्र एक सरसरी कार्यवाही व Fiscal proceeding का भाग है। अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील आदेश के जरिये भूमि का अन्यत्र बेचान नहीं करने का आदेश दिया है। जो सही है, क्योंकि अपीलांट ने पुश्तैनी आराजी को रेस्पोडेन्ट के हिस्से की आराजी को बेच दी जायेगी तो इससे रेस्पोडेन्ट न्याय से वंचित रह जायेगा। तथा मुकदमे बाजी बढेगी। वादग्रस्त आराजी के संबध में मूल दावा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है जिसका निस्तारण साक्ष्य एवं सबूत के आधार पर तय होगा। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्व रेकर्ड जमाबंदी खतौनी बंदोबस्त एवं मिलाना खसरा आदि दस्तावेजात रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत किय गये जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मनन किया गया विस्तृत जमाबंदी वर्तमान संवत 2070–73 में अपीलांट के पिता खातेदार काश्तकार दर्ज होना साबित है किन्तु मिलान खसरा संत 2012–18 तथा मिलान बंदोबस्त संवत 2010–19 अनुसार विवादित आराजी कृषि भूमि अपीलांट की दादी गुलाबकंवर बंवा भारतसिंह का नाम दर्ज होने से पैतृक व पुश्तैनी भूमि होना बखुबी प्रमाणित है। उक्त रिकार्ड के आधार पर वादग्रस्त आराजी प्रथम दृष्टया पैतृक व पुश्तैनी होना साबित है। उक्त आराजी को बेचान करने पर रेस्पोडेन्ट विपरित रूप से प्रभावित होगा। मौके पर विवाद बढेगा अपूर्णनीय क्षति होगी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त समस्त बिन्दुओ का ध्यान में रखते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है। जो कि पूर्णतया विधिसम्मत है। अत अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट द्वारा खातेदारी घोषित कराने हेतु वाद प्रस्तुत किया है तथा उक्त वाद के समर्थन में अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। उक्त भूमि राजस्व रेकर्ड में अपीलाण्ट्स के नाम बतौर खातेदारी दर्ज है। हस्तगत प्रकरण में विधिक प्रश्न यह प्रकट होता है कि क्या उक्त भूमि अपीलाण्ट्स एवं रेस्पोडेन्ट्स की पुश्तैनी है, जिसमें अपीलाण्ट के साथ साथ रेस्पोडेन्ट्स का भी हक हिस्सा निहित है ? इस तथ्य का निर्धारण मूल वाद में तनकीयात कायम होकर उन पर संग्रहित साक्ष्यों के आधार पर तनकीयात विनिश्चय होने पर ही सम्भव होगा, किन्तु यदि अपीलाण्ट राजस्व रेकर्ड में अपना नाम दर्ज होने के कारण पर दौराने वाद वादस्थ भूमि का बेचान हस्तान्तरण करते है, तो निश्चय ही वाद बाहुल्यता होगी। जहां हकों के निर्धारण का प्रश्न निहित हो, उस स्तर पर भूमि के राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

रखना ही न्यायोचित निर्णय होता है। इस अनुरूप अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश के जरिये वादस्थ भूमि के राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने एवं बेचान हस्तान्तरण नहीं करने हेतु पाबन्द करने का आदेश पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज की जाती है तथा सहायक कलक्टर एवं उपखंड अधिकारी सोजत द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 12/2017 में पारित आदेश दिनांक 19.04.2017 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 24.06.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आशाराम डूडी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली